

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 90/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मुकेश पाहन

- विक्रेता

सुजाता कुमारी

- क्रेता

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

250818

आदेश

आवेदक मुकेश पाहन पिता स्व0 बोकला पाहन ग्राम कर्रा रोड नवाटोली खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुजाता कुमारी पति सनिका कुजुर ग्राम रेवा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
खूँटी	83	06	183	0.10


आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1493200933 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 744 दिनांक 20.08.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अरजुन पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मगरा पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकबा 2.40½ एकड़ है। आवेदक के पास 0.30 एकड़ एवं अन्य खाता मौजा खूँटी 2.40 एकड़ कुल रकबा 2.70 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 163883.00 (एक लाख तीरेसठ हजार आठ सौ तिरासी)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.60 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुकेश पाहन पिता स्व0 बोकला पाहन को सुजाता कुमारी पति सनिका कुजुर के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं0 06 खेसरा संख्या 183 का रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 163883.00 (एक लाख तीरेसठ हजार आठ सौ तिरासी)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


मुकेश पाहन
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


सुजाता कुमारी
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।